न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री./टीए./2640 /2005/जयपुर

सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी खटवाड तहसील दूदू जिला जयपुर।

अपीलाण्ट

बनाम

1 रामसहाय पुत्र कल्याण (नाम तर्क)
1/1 श्रीमति प्रेमदेवी बेवा रामसहाय
1/2 कैलाश | पुत्र/पुत्री स्व0 रामसहाय
1/3 बिरदीचंद |
1/4 विष्णु |
1/5 आशा |
2 श्रीमति धापू पत्नि सूरजकिरण
3 बबली पुत्री रामप्रसाद
4 बनवारी दत्तक पुत्र रामप्रसाद
5 काना पुत्र सूरजकिरण
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी खडवाड तहसील दूदू जिला जयपुर।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः

श्री विरेन्द्र सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
रेस्पोडेण्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

निर्णय

दिनांक 28.8.18

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी,

जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–3–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी के द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर, दूदू के यहां विरूद्ध रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 का पेश कर कथन किया कि ग्राम खटवाड के खसरा नंबर 787 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 788 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 3 बीधा 9 बिस्वा पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है । अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट एक ही परिवार के सदस्य है एवं मौके पर बंटवारा करके काश्त करते आ रहे हैं । विवादित आराजीयात अपीलाण्ट के पिता भंवरलाल के कब्जे काश्त में थी एवं उनके पिता भंवरलाल की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेण्ट का नाम चला आ रहा है । इस कारण यह वाद प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय के द्वारा 5 तनकियात बनाकर साक्ष्य लिए जाकर दावे को निर्णय दिनांक 7–4–2000 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के यहाँ अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2005 द्वारा अपीलाण्ट की अपील खारिज करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 7–4–2000 की पुष्टि की ।

सहायक कलेक्टर, दूदू ने अपने निर्णय दिनांक 7–4–2000 में यह आदेशित किया है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श ईएक्सडी 18 का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि आराजी किता 13 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा वादी के पिता भवंरलाल पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज की गई तथा वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कल्याण जगदीश पि0 नाथू के नाम दर्ज की गई प्रथम तो यदि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के पिता का ही कब्जा काश्त होती तो उन आराजीयात का अंकन भवरलाल पुत्र रामचन्द्र के नाम जारी पर्चे में होता । द्वितीय वादी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि सेटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त था लेकिन

पर्चा गलत आ गया । इस प्रकार जब वादी यह साबित नहीं कर पाता कि पर्चे के अंकन गलत है तब तक उनमें दुरूस्ती कराने का वादी अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में तनकी नंबर 4 का निर्णय वादी के विरूद्व तय किया जाता है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी नंबर 1, 2, 3, 4 निर्णय वादी के विपक्ष में किया जाता है। अतः वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है । चूंकि वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहा है अतः वाद खरिज किया जाता है ।

उक्त आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 31–3–2005 में यह माना है कि प्रश्नगत भूमि की खातेदारी संवत 2011 से ही कल्याण व जगदीश पुत्र नाथू के नाम है । अपीलार्थी के पिता के नाम खातेदारी भूमि दर्ज होने का अभिलेख प्रस्तुत नहीं हुआ है । प्रश्नगत भूमि पैतृक साबित नहीं है । भंवरलाल अपीलार्थी के पिता का नाम कभी खातेदारी भूमि नहीं रही । इसलिए तथाकथित बंटवारानामा की बात भी स्वीकार्य नहीं है । वादी पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया कि पूर्व सेटलमेंट के पूर्व वादी के पिता का नाम खातेदारी भूमि रही हो और रेस्पोडेण्ट/पिता के नाम खातेदारी गलत दर्ज हो गई हो केवल मात्र एक दो वर्ष में काश्त वाले कालम में उनका नाम अंकित होने मात्र से ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते हैं। शेष प्रतिवादीगण जिन्होंने इकबाली जबावदावा दिया है के आधार पर अन्य प्रतिवादीगण के पक्ष में खातेदारी अंकन को गलत करार नहीं दिया जा सकात है। स्वीकारोक्ति का सिद्धांत स्वीकार करने वाले पक्ष पर ही लागू होता है न कि अन्य पक्षकारान पर । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिजकीगई ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषकगण अपीलाण्ट का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विवादित आराजीयात पर अपीलाण्ट का

कब्जा संवत 2011 से ही चला आ रहा है इसके लिए अपीलाण्ट ने खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014, 2015 से 2019 संवत 2027 से 2030 प्रस्तुत की थी जिसमें अपीलाण्ट का कब्जा काश्त साबित है ।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से आदिनांक तक कब्जा भवंरलाल का है । संवत 2013 में भी अपीलाण्ट का नाम दर्ज है। कानूनन इस आराजीयात के अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार बन गए किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से रेस्पोडेण्ट के नाम चला आ रहा है संवत 2000 की खसरा गिरदावरी से भी यह स्पष्ट है कि उनका कब्जा बहुत पुराना है । संवत 2030 के बाद रेस्पोडेण्ट का नाम आया है । अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट एक ही परिवार के सदस्य है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सही तरीके से विवेचन नहीं किया है । राजस्व अपील प्राधिकारी को अपना निर्णय प्रत्येक तनकी पर देना चाहिए थाजिससे अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें ।

5. रेस्पोडेण्ट बाबजूद सूचना अनुपस्थित । हमने अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2043 से 2046 में विवादित आराजीयात खसरा नंबर 787, 788 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा रामसहाय पुत्र कल्याण 1/2हिस्सा, रामप्रसाद पुत्र जगदीश के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 14 में कॉलम संख्या 17 में भूरा पुत्र रामचन्द्र का नाम अंकन किया है । संवत 2013 में भी भूरा वल्द रामचन्द्र , सूरजा वल्द हरनाथ, भोलू वल्द हरनाथ का नाम दर्ज है संवत 2015 से 2018 में खसरा गिरदावरी में कल्याण व जगदीश पि0 नाथू का नाम दर्ज है । खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2029 में भी विवादित आराजीयात पर कल्याण व जगदीश पुत्र नाथू का नाम बतोर खातेदार दर्ज है । अपीलाण्ट के द्वारा ऐसा कोई दस्तोवजी सबूत पेश नही किया गया जिससे जमाबन्दी में उसका नाम

दर्ज हो मात्र खसरा गिरदावरियों में उसकी काश्त दर्ज होने से उसे किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिल सकते हैं । अपीलाण्ट को अपना हक व अधिकार किसी दस्तावेजी सबूत से साबित करने चाहिए जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वह अधिकार के साथ काश्त कर रहा है। केवल मात्र खसरा गिरदावरियों के काश्त का अंकन होने से हक व अधिकार साबित नहीं होते है। अपीलाण्ट ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि यह भूमि पूर्व में उनके पूर्वजों के नाम रही हो एवं अपीलाण्ट के पिता के नाम दर्ज होने से रह गया हो । विचारण न्यायालय ने जो तनकियात निर्णित की गई है उसमें स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है । अपीलाण्ट का हक व अधिकार साक्ष्य से साबित नहीं होता है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीतनहीं होता है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य